संख्या– 1/877/पचासी-परती-2013-7(85)/2013

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध् निदेशक,
उ0प्र0 भूमि सुधार निगम,
भूमि-मित्र भवन, विभूति खण्ड,
गोमतीनगर, लखनऊ।

परती भूमि विकास अनुभाग लखनऊ दिनांक 13 दिसम्बर, 2013

विषय- उ0प्र0 सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट-111(विश्व बैंक पोषित) के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त् विषयक आपके पत्रांक -3बी/01/बजट/2013-14/783, दिनांक 25 नवम्बर, 2013 के सन्दर्भ में तथा शासनादेश संख्या- 271/पचासी-परती-2013-07/2013, दिनांक 18 अप्रैल,2013 संख्या-406/पचासी-परती-7(85)-2013 दिनांक 10 जून, 2013 व शासनादेश संख्या-563/पचासी-परती-7(85)-2013 दिनांक 23 अगस्त, 2013 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में उत्तर प्रदेश सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट-111 (विश्व बैंक पोषित) योजना के अन्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित रूपये 1,76,70,00,000/- के सापेक्ष चतुर्थ त्रैमास हेतु रूपये 44,17,50,000- (रूपये चव्वालीस करोड सत्रह लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- धनराशि के आहरण हेतु बिल उ0प्र0 भूमि सुधार निगम द्वारा तैयार किया जायगा और उसे प्रमुख सचिव, परती भूमि विकास, उ0प्र0 शासन से प्रतिहस्ताक्षिरत कराने के बाद सम्बन्धित कोषागार में प्रस्तुत किया जायगा।

3- धनराशि के उपयोग का अनुश्रवण् सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी सुनिश्चित करेगा जो इसके एकाउण्टस भी तैयार कराकर ससमय उपलब्ध करायेंगे।

4- यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलो में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्ष्म प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलो में व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5-उक्त धनराशि का उपयोग योजना की विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना तथा कार्ययोजना के अनुरूप विश्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृति की गयी तथा आय-व्ययक में प्राविधानित है। किसी अन्य भिन्न मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका डायवर्जन किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यय उन्ही मदों में किया जायगा, जिसके लिए विश्व बैंक द्वारा रिट्रोएक्टिव फाइनेन्सिंग के अन्तर्गत धन देने के लिए सहमति दी गयी है।

6 स्वीकृत की जा रही धनराशि को व्यय करते समय विश्व बैंक तथा भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-

http://shasanadesh.up.nic.in

निर्देशों, मार्गदर्शक सिद्धान्तों तथा फाइनेन्शिंग एग्रीमेन्ट के प्राविधानों का पालन किया जायेगा।

7- उक्त योजना का पूरा विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का इमपैक्ट एससमेन्ट कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।

8- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीष्क-2402-मृदा तथा जल संरक्षण-आयोजनागत-103-भूमि सुधार तथा विकास-97-वाह्य सहायतित योजनाएं-9704-उ0प्र0 सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट -।।।(विश्व बैंक पोषित योजना) के मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

9- यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1 अशासकीय संख्या-ई-1-677/दस-2013, दिनांक 11,12,2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1/877(1)/पचासी-परती-2013-7(85)/2013-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालत्र, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4. सचिव, वाह्य सहायतित परियोजना विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
5. कृषि निदेशक, उ0प्र0, कृषि भवन, लखनऊ ।
6. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 भूमि सुधार निगम, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लख्नऊ।
7; कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लख्नऊ ।
8. वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-3/कृषि अनुभाग-5।
9. अनुभागीय आदेश् पुस्तिका।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in